

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-25092023-248985
SG-DL-E-25092023-248985असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 290]	दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 22, 2023/भाद्र 31, 1945	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 232
No. 290]	DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 22, 2023/BHADRA 31, 1945	[N. C. T. D. No. 232

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIगृह (पुलिस-II)) विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 21 सितम्बर, 2023

फा. सं. 8/183/2023/गृह पुलिस-II) /3299-3312.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 20 मार्च, 1974 की अधिसूचना संख्या 11011/2/74-यूटीएल (i) के साथ पठित आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सक्षम प्राधिकारी एतद्वारा सुश्री रूपाली बंधोपाध्याय को दिनांक 23.08.2023 के पत्र के माध्यम से दिल्ली पुलिस द्वारा दी गई शुल्क संरचना पर आईपीसी की धारा 376(2)(च), 323, 506, 509, 313, 34, 120(ख) तथा 6/21 पोस्को, दिनांक 13.08.2023, पुलिस थाना बुराड़ी, दिल्ली के अन्तर्गत केस एफ आई आर सं. 1068/2023 के मामले में, माननीय दिल्ली परीक्षण न्यायालय में दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व करने के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करते हैं—

कार्य का विवरण	प्रस्तावित शुल्क
उपस्थिति शुल्क (प्रभावी)	प्रति उपस्थिति 25,000/— रुपये
उपस्थिति शुल्क (गैर-प्रभावी)	प्रति उपस्थिति 15,000/— रुपये
सम्मेलन शुल्क	प्रति सम्मेलन 21,000/— रुपये

प्रारूपण शुल्क	प्रति प्रारूपण 15,000 /— रुपये
लिपिकीय	10 प्रतिशत

यह माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
राजन भटनागर, उप-सचिव (गृह-II)

HOME (POLICE-II) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 21st September, 2023

F. No. 8/183/2023/HP-II/3299-3312.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. 11011/2/74-UTL (i) dated the 20th March, 1974, the Competent Authority, is pleased to appoint Ms. Rupali Bandhopadhya, as Special Public Prosecutor to represent Delhi Police in the Ld. Trial Court of Delhi, in the matter of case FIR No. 1068/2023, u/s 376 (2)(f), 323, 506, 509, 313, 34, 120(B) IPC and 6/21 POCSO Dt. 13.08.2023 PS Burari Delhi on the fee structure given by Delhi Police vide letter dated 23.08.2023: -

Detail of work	Proposed fee
Appearance fee (effective)	Rs. 25000/- per appearance
Appearance fee (Non-effective)	Rs. 15000/- per appearance
Conference fee	Rs. 21000/- per conference
Drafting fee	Rs. 15000/- per drafting
Clerkage	10%

This issues with the approval of Hon'ble Lieutenant Governor, GNCT of Delhi.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
the National Capital Territory of Delhi,
RAJAN BHATNAGAR, Dy. Secy. (Home-II)